परिशिष्ट–'क'

समाज कल्याण विभाग, बिहार
समाज कल्याण निदेशालय
सिंचाई भवन, पटना।

मार्गदशिका

"आसरा" – मानसिक रूप से विज्ञिप्त/रूग्न आवासिनों के लिए विशेष गृह की योजना

परियोजना का उद्देश्य :– समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित उत्तर रक्षा गृह एवं निशांत गृह में मानसिक विक्षिप्त/मानसिक विकलांग आवासिनों की संख्या काफी है। वर्त्तमान में इन मानसिक विक्षिप्त/रूग्न आवासिनों के इन गृहों में रहने से, वहाँ रह रही अन्य संवासिनों को असुविधा हो रही है। इन मानसिक रूप से विक्षिप्त/रूग्न आवासिनों के लिए एक अलग माहौल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए मानसिक विक्षिप्त/विकलांग आवासिनों के उचित देख–रेख, काउन्सिलिंग, शिक्षण–प्रशिक्षण के लिए राज्य के पटना जिला में 50 बिस्तर का गृह का संचालन अनुभवी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। यह गृह "आसरा" के नाम से जाना जायेगा।

परियोजना की अवधि :– चयनित संस्थाओं के साथ अनुबंध की अवधि 11 माह की होगी। अनुबंध अवधि का विस्तार, स्वयंसेवी संस्था के गृह संचालन की समीक्षा के आधार पर जा सकेगा।

चयन हेतु पात्रता :– इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाएँ/फर्म/एजेंसी/ट्रस्ट आदि के चयन का मापदंड उनके प्रमाणिक अनुभव एवं इस क्षेत्र में किये गये कार्य के आधार पर किया जायेगा। प्रस्तावित गृह के संचालन हेतु निम्नलिखित मदों पर विवरण अपेक्षित होगा :–

1. गृह संचालन हेतु न्यूनतम 9000 वर्गफीट की भवन की उपलब्धता
2. शिक्षकों/कर्मियों की योग्यता एवं मानदेय।
3. चिकित्सा कर्मियों का मानदेय।
4. कार्यालय एवं अन्य कार्यों हेतु कर्मियों का मानदेय।
5. गृह संचालन हेतु आवश्यक उपस्कर/उपकरण का क्रय।
6. दैनिक/मासिक व्यय
7. सुरक्षा कर्मियों का मानदेय।

आवेदन के लिए संस्था की योग्यता

1. कम–से–कम 3 वर्ष पूर्व पंजीकृत संस्था
2. समान व्यवसाय में 3 वर्षों (2008–09, 2009–10 एवं 2010–11) का औसत आवर्त्त (Turnover) 2.5 लाख रुपये हो।
3. संबंधित कार्य में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव।

संस्था/कंपनी के नाम से सेवा कर सं0/पैन सं0 हो

संस्था/कंपनी किसी भी सरकार/संगठन के द्वारा काली सूची में दर्ज न हो।

जिस जि... में 'आसरा' की योजना प्रस्तावित है, उस जिले में संस्था की उपस्थिति से संबंधित दस्तावेज।

. प्रस्तावित कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर दृष्टिकोण पत्र।

आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न पत्र में संलग्नक की सूची पृष्ठ संख्या के साथ देना जरूरी है :–

1. पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति
2. वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 का अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रति
3. एक पेज में योजना से संबंधित क्षमता विवरणी
4. संबंधित जिले में उपस्थिति से संबंधी प्रमाण
5. काली सूची में न डाले जाने से संबंधी प्रमाण

संस्थाएँ/फर्म/एजेंसी/ट्रस्ट आदि का चयन समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा।

"आसरा" हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार एवं निर्णय हेतु निम्न प्रकार एक समिति गठित की जाएगी :–

1. निदेशक, समाज कल्याण	–	अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव/सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	–	सदस्य
3. संयुक्त निदेशक I, समाज कल्याण	–	सदस्य
4. संयुक्त निदेशक II, समाज कल्याण (प्रभारी योजना)	–	सदस्य संयोजक
5. आंतरिक वित्तीय सलाहकार-सदस्य	–	

समिति द्वारा चयनित संस्था/फर्म/एजेंसी/ट्रस्ट को गृह संचालन हेतु निदेशक, समाज कल्याण द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा।

30.3.12

(के0जे0 बहादुर)
संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण।